बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 179122 ग्रा0वि0 15 बैठक-61/2013 पटना, दिनांक- 26-2-2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा पर विधिक जागरूकता शिविरों एवं लोक अदालतों का आयोजन ।**

प्रसंग:- **सदस्य-सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना का पत्रांक 1929 दिनांक 17.12.2012 तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक 137637 दिनांक 05.02.2013 एवं पत्रांक 141807 दिनांक 12.03.2013 ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पत्रांक BSLSA/eslt/202 दिनांक 30.01.2014 एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

2. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा यह अवगत कराया गया है दिनांक 12.04.2014 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है । इस लोक अदालत में मनरेगा से संबंधित सभी वादों को निष्पादित किया जाना है ।

अनुरोध है कि इस लोक अदालत के संबंध में अपने स्तर से सभी संबंधितों को ससमय अवगत करा दिया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करा दिया जाय कि मनरेगा से संबंधित सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन इस लोक अदालत में हो जाय । जिलास्तर पर की गई कार्रवाई का एवं पूर्व में प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को विहित प्रपत्र में शीघ्र उपलबध कराया जाय ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

26/2

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 179122 ग्रा0वि0 15 बैठक-61/2013 पटना, दिनांक 26-02-2014

प्रतिलिपि- श्री राधा कृष्ण, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

26/2

प्रधान सचिव ।